84

न्यायालय–समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

उत्पाद अधिहरण वाद सं0– 108 / 2017

सरकार बनाम हरेराम सिंह एवं विष्णुकान्त सिंह

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक आ0 ....से ....

जिला – रोहतास ....नं0– 108 सन् 2017

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17-11-17	यह वाद पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक 5853 / अप0शा0, दिनांक 15.07.17 एवं उसके साथ संलग्न अनुलग्नक के आधार पर प्रारंभ किया गया है। सासाराम मॉडल थाना काण्ड सं0– 864 / 17 में कहा गया है कि बेलोरो पिक–अप भान निबंधन सं0– UP-65BT-1876 से रॉयल स्टेग कम्पनी का 750 ML का 24 कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 12 बोतल एवं 375 ML का रॉयल स्टेग 18 काटून प्रत्येक में 24 बोतल कुल 378 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। वाहन से लम्बु खटिक उर्फ जैलेन्द्र कुमार सोनकर को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि हरेराम सिंह, विष्णु कान्त सिंह एवं अन्य लोग शराब के व्यवसाय में सामिल हैं। प्राथमिकी में दर्ज घटना के आधार पर वाहन को अधिहररित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी हरेराम सिंह एवं विष्णु कान्त सिंह दोनों भाई हैं। इन्होंने अलग अलग कारण–पृच्छा दिया है। लेकिन कथन लगभग समान है। विष्णुकान्त सिंह ने स्वयं को जप्त वाहन का स्वामि बताया है। वाहन श्री राम चालक द्वारा चलाया जा रहा था। ज्ञात हुआ है कि वाहन पर बैठे कुछ लोगों को सासाराम मॉडल थाना ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से शराब बरामद हुआ है और वाहन को जप्त कर लिया गया है। वाहन का उपयोग शराब ढुलाई में नहीं किया गया है। वाहन सासाराम मॉडल थाना में खुले आसमान के निचे खड़ा है। जिससे इसकी उपयोगिता समाप्त हो रही है। न्यायालय की मांग पर वोहन को प्रस्तुत करूँगा। कारण–पृच्छा के इन्हीं कथनों के आधार पर वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। बार बार पुकार पर भी विपक्षी अनुपस्थित हैं तथा पूर्व के तिथि पर भी कोई पैरवी	

नहीं किया गया था।

मैंने अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया।

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अध्याय III में मादक द्रव्यों आदि का निषेध वर्णित है। इस अधिनियम की धारा 13 (I) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथव शराब का, विनिर्माण बोतल बंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भण्डारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा।

अधिनियम के अध्याय VI में अपराध और शक्ति वर्णित है। धारा 30 के अनुसार जो कोई, इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आदेश अथवा निर्गत अधिसूचना के उपबंध के उंल्लघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट अथवा पास के किसी के सत्र के उल्लंघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधि मान्य अनुज्ञप्ति, परमिट, अथवा पास के बिना मादक द्रव्य अथवा शराब को प्रयोग अथवा उपभोग परिवहन, विनिर्माण , कब्जा, क्रय–बिक्रय, वितरण, संग्रहण आदि कार्य करता है तो वह दण्डनीय अपराध है। धारा 37 के अनुसार किसी स्थान में शराब अथवा मादक द्रव्य का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है।

अधिनियम की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली वस्तुओं का वर्णन है, जिसमें मादक द्रव्य, शराब, बर्तन, औजार उपकरण परिसर, पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन, जिसमें अपराध किया गया हो।

अधिनियम की धारा 58 में समाहर्त्ता द्वारा अधिहरण की शक्ति वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि जिला कलक्टर को यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है तो ऐसी सम्पति को अधिहरण का आदेश पारित कर सकेगा।

अधिनियम की धारा 62 में परिसरों को ध्वस्त करने का आदेश देने की शक्ति समाहर्त्ता को प्राप्त है।

पिक–अप भान मालवाहक है। जप्त वाहन में शराब कीं पेटी रखकर उपर से गेंहू का भूसी भरा बोरी रखा था। इससे स्पष्ट है कि जप्त वाहन से अवैध शराब की ढुलाई हो रही थी, जो अधिनियम की धारा– 30 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, और इस अपराध में प्रयुक्त वाहन एवं शराब अधिनियम की धारा– 56 के अन्तर्गत अधिहरणीय है।

अतः अधिनियम की धारा– 58 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जप्त पीक–अप निबंधन सं0– UP-25BT-1876 को सभी तरह से भारमुक्त करते हुए तथा जप्त शराब

378 लीटर को अधिहरित किया जाता है।

शराब हानिकारक सामग्री है तथा इसका सेवन, खरीद बिक्री, आदि बि0म0नि0 एवं उ0अधि0– 2016 के अन्तर्गत वर्जित एवं दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में यदि जप्त शरब को नष्ट नहीं किया गया हो तो थानाध्यक्ष, सासाराम मॉडल थाना नष्ट कर प्रतिवेदन विधि प्रशाखा, रोहतास को भेजें।

आदेश की प्रति थानाध्यक्ष सासाराम मॉडल थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

ज्ञापांक 1798 / विधि, दिनांक 26/5/18

प्रतिलिपि: निदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, रोहतास, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशानुसार जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशानुसार थानाध्यक्ष, सासाराम मॉडल थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/18

उपसमाहर्ता, विधि
रोहतास, सासाराम।